UPPG120019582021

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।

मूलवाद संख्या –656/2021

सुरेश कुमार वर्मा आदि––– **बनाम**––––––गांवसभा आदि।

दिनांकः–05.08.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्ष को सुलह–समझौता हेतु सुझाया गया परन्तु वे सुलह हेतु तैयार नहीं हुए, इस प्रकार सुलह समझौते का प्रयास असफल रहा।

अतः उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर मामले में निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये जाते हैंः–

1– क्या वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी व काबिज दखील है?
2– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?
3– क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4– क्या वादग्रस्त भूमि अनिश्चित है?
5– क्या वादीगण का वाद काल बाधित है?
6– क्या वाद धारा 206 उ0प्र0रा0सं0 2006 के प्राविधानों से बाधित है?
7– क्या वाद धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित है?
8– क्या वाद में धारा 80 जा0दी0 व 106 पंचायत राज अधिनियम के तहत नोटिस न देने का दोष विद्यमान है?
9– क्या प्रतिवादीगण वादीगण से विशेष हर्जा अंतर्गत धारा 35ए जा0दी0 पाने का अधिकारी है?
10– क्या वादीगण किसी अन्य उपषम को प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अलावा कोई अन्य वाद बिन्दु न बनता है और न किसी अतिरिक्त वाद बिन्दु को बनाये जाने हेतु पक्षकारों द्वारा बल ही दिया गया। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 हेतु दिनांक 26.09.2022 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0),
लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2022.08.05 16:51:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court